# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :–42 / 2015 निर्णय दिनांक :– 18.11.2019

सोमनाथ चेला पीर मंगलनाथ जी, पुजारी बहक मूर्ति महादेव मंदिर, वाके ग्राम बरेव तहसील परबतसर।

.....प्रार्थी

## बनाम

गुरूप्रसाद तंवर तत्कालिन तहसीलदार परबतसर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– **अन्तर्गत धारा 39 नियम 2(क) तथा आदेश 40 नियम 3 च व 4 ग सपठित धारा 151 सीपीसी**

उपस्थित :– श्री त्रिलोकी नाथ आम खास मुखत्यार प्रार्थी।

## निर्णय

1. प्रार्थी सोमनाथ द्वारा नियुक्त आम खास मुखत्यार त्रिलोकीनाथ ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि राज. सरकार को मूर्ति मंदिर महादेव वाके बरेव की कृषि भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु पुजारी सोमनाथ एवं जनता द्वारा अनुरोध किया जाने पर सरकारी तौर पर अतिक्रमण मुक्त कराने बाबत इस न्यायालय में तत्कालिन नायब तहसीलदार पीलवा ने वा संख्या 7 / 2010 व 5 / 2010 दायर कराये जो क्रमशः दिनांक 25.01.2012 व 11.09.2012 को स्वीकार कर तहसीलदार परबतसर को निर्देश दिया गया कि अतिक्रमी को बेदखल कर भूमियां मुक्त करावें। तहसीलदार इन मामलों में पक्षकार मुकदमां भी रहे हैं दोनों फैसलो की जानकारी तहसीलदार को थी परन्तु तहसीलदार परबतसर ने कार्यवाही नहीं थी। इन निर्देशों से विशेष रूप से तहसीलदार को पाबन्द किया गया था आदेशों की पालना करने का दायित्व तहसीलदार परबतसर ही रहा हैं। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी को मुख्त्यार त्रिलोकीनाथ द्वारा दिनांक 18.03.2013 को अवगत कराया गया था कि निर्णयों की पालना पर रोक नहीं है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार को उपखण्ड अधिकारी ने भी पत्रांक 669 दिनांक 07.11.2013 को द्वारा निर्देशित किया गया था। लेकिन तहसीलदार ने उक्त निर्णयों की पालना कराने के बजाय अतिक्रमण को ही बढावा दिया तब प्रार्थी ने जरिये मुख्त्यार खास नोटिस 80 सीपीसी भी रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजा जो दिनांक 07.07.2014 को प्रेषित किया तथा दिनांक 09.07.2014 को अप्रार्थी गुरू प्रसाद तंवर ने बहैसियत तहसीलदार प्राप्त किया। जिसके बावजूद उक्त भूमियों को अतिक्रमण मुक्त नही करवाया। तहसीलदार

18/11/19
उपखण्ड अधिकारी

महोदय ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर इसके विपरीत अतिक्रमण को बढावा देनो पूर्ववत जारी रखा जिससे मूर्ति महादेव मंदिर वाके बरेव को आर्थिक हानि हुई हैं जिसके जवाबदार तहसीलदार परबतसर हैं। माननीय न्यायालय के आदेशो की अवमानना हुई हैं और लगातार अवमानना हो रही है। जिससे प्रार्थना पत्र पेश कर निर्धारित अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे तथा भूमियों अतिक्रमण मुक्त कराकर उपरोक्त वर्णित निर्णयों की पालना कराई जोवं तथा प्रार्थी के हक में हर्जा– खर्चा दिलाया जावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 11.01.2016 को प्रार्थना पत्र का जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी नकल प्रार्थी को दी गई।

3. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रकरण संख्या 7/2010 सरकार बनाम बिरजूड़ी में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2012 व प्रकरण संख्या 05/2010 मूर्ति मंदिर बनाम मेहराम निर्णय दिनांक 11.09.2012 की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं। तथा दिनांक 18.03.2013 को तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस कार्यालय से जारी पत्र संख्या 669 दिनांक 07.11.2013 एवं 80 सी.पी.सी. के तहत अप्रार्थी को रजिस्ट्रर्ड डाक से प्रस्तुत नोटिस की छाया प्रतियां पेश की है।

4. प्रार्थी द्वारा नियुक्त आम खास मुख्त्यार श्री त्रिलोकीनाथ की बहस सुनी गई पत्रालवी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थी ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 07/2010 सरकार बनाम बिरजूडी में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2012 में तहसीलदार पबरतसर को निर्देशित किया गया हैं कि ग्राम बरेव के खसरा नम्बर 195, 195/1, 195/2, 23, 23/1 कुल रकबा 22–12 बीघा भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल कर कब्जा वादी एवं वादी की अध्यक्षता में गठित कमेठी को सुपुर्द किया जावे। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 05/2010 मंदिर मूर्ति महादेव बनाम मेहरा में दिनांक 11.09.2012 निर्णय पारित कर ग्राम बरेव के खसरा नम्बर 194 रकबा 6–02 बीघा भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल कर कब्जा मूर्ति मंदिर महादेव वाके बरेव को सुपुर्द किया जावे। जिसकी पालना हेतु तत्कालिन तहसीलदार पबरतसर को माननीय न्यायालय में निर्देशित किया गया था प्रार्थी द्वारा भी तत्कालिन तहसीलदार श्री गुरूप्रसाद तंवर को अवगत कराया गया था जिसके बावजूद उनके द्वारा अतिक्रमियों को बेदखल कर कब्जा सुपुर्द नहीं करवाया गया है, जिससे मंदिर को आर्थिक नुकशान हुआ हैं। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया हैं कि माननीय न्यायालय के निर्णयों की पालना में दिनांक 05 जून

2015 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 के दौरान प्रकरण संख्या 07/2010 निर्णय दिनांक 25.01.2012 की पालने में ग्राम बरेव के पुराने खसरा नम्बर 195, 195/1, 195/2, 23, 23/1 कुल रकबा 22–13 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 423, 424, 55, 56, 768/424 कुल रकबा 3.24 हैक्टयर भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल कर नायब तहसीलदार भकरी को कब्जा संभलाया गया हैं तथा प्रकरण संख्या 05/010 निर्णय दिनांक 11.09.2012 की पालना में ग्राम बरेव के खसरा नम्बर 194 रकबा 6–02 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 422 रकबा .99 हैक्टयर भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल कर कब्जा मंदिर मूर्ति महादेव वाके बरेव के पुजारी सोमनाथ प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया गया था। अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नही की गई हैं। जिससे अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। मौका फर्द दिनां 5 जून 2015 का अवलोकन किया गया जिसमें नायब तहसीलदार भकरी के हस्ताक्षर एवं प्रार्थी सोमनाथ का अंगूठा निशानी हैं जिन्होने ने विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त किया है।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी के जवाब व प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी तत्कालिन तहसीलदार गुरूप्रसाद तंवर द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में मंदिर की भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल कर सम्बन्धित भू. अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की उपस्थित में न्यायालय के आदेशों की पालना में कब्जा नायब तहसीलदार भकरी व प्रार्थी सोमनाथ को सुपुर्द किया जाना मौका फर्द दिनांक 5 जून 2015 से साबित होता हैं। जिससे अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय आदेशों की अवमानना किया जाना सिद्ध नहीं होता है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) तथा आदेश 40 नियम 3 च व 4 ग साबित करने में असफल रहा है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

## आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2(क) तथा आदेश 40 नियम 3 च व 4 ग सपठित धारा 151 सीपीसी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। उभय पक्ष खर्चा अपना अपना स्वंय वहन करे। यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
पबरतसर

उपखण्ड अधिकारी
पबरतसर (नागौर)